

[2024] 8 एससीआर 717: 2024 आईएनएससी 632

कलवाकुन्तल कविता

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील संख्या 3522 / 2024)

27 अगस्त 2024

[न्या. बी. आर. गवई एवं न्या. के. वी. विश्वनाथन]

विचारार्थ विवादक

यह मामला एक ऐसे आवेदक को पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक के लाभ प्रदान किए जाने से संबंधित है, जो एक सुशिक्षित एवं निपुण महिला है, जो संसद सदस्य तथा विधान परिषद की सदस्य रही हैं।

शीर्ष टिप्पणियां

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 45 परंतुक - धारा 45 परंतुक के तहत लाभकारी उपचार - पात्रता - आवेदक - सुशिक्षित एवं निपुण महिला, संसद सदस्य, विधान परिषद की सदस्य बनी रही हैं, दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन से संबंधित पूरी साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी - उनके खिलाफ सीबीआई तथा ईडी के मामले - जमानत आवेदन - विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा भी खारिज किया गया - औचित्य:

अभिनिर्धारित: धारा 45(1) का परंतुक एक महिला को विशेष उपचार हेतु पात्र बनाएगा, जबकि जमानत के लिए उसकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है - परंतुक महिला सहित अभियुक्तों की कुछ श्रेणी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देता है, बिना धारा 45 के तहत

संतुष्ट होने की दोहरी आवश्यकता के बिना - लाभ हेतु पात्रता स्वतः नहीं है, यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर होगा - हालांकि, जब कोई संविधि विशेष रूप से अभियुक्त की एक निश्चित श्रेणी के लिए एक विशेष उपचार प्रदान करती है, तो ऐसे लाभ से इनकार करते समय, न्यायालय को विशिष्ट कारण देने की आवश्यकता होगी कि इस तरह के लाभ से इनकार क्यों किया गया है - तथ्यों पर, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आवेदक को धारा 45(1) के परंतुक के लाभ देने से इनकार करते हुए स्वयं को पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रूप से निर्देशित किया - एकल न्यायाधीश ने त्रुटिपूर्ण रूप से पाया कि धारा 45(1) का परंतुक केवल एक "कमजोर महिला" लागू होता है तथा आवेदक को "कमजोर महिला" के समान नहीं माना जा सकता है - न्यायालयों को इस तरह के मामले निर्णीत करते समय अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए अपने विवेकाधिकार का सावधानी से उपयोग करना चाहिए - इसके अतिरिक्त, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि एक महिला सुशिक्षित या परिष्कृत है या संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य है, वह धारा 45(1) के परंतुक के लाभ की पात्र नहीं है - इसके अतिरिक्त, सीबीआई मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है तथा ईडी मामले में शिकायत दर्ज की गई है, इस तरह जांच के लिए अपीलकर्ता की हिरासत आवश्यक नहीं है - अपीलकर्ता पिछले पांच महीनों से सलाखों के पीछे है - लगभग 493 साक्ष्यों का परिक्षण किया जाना है तथा भारी मात्रा में दस्तावेजों पर विचार किया जाना है, निकट भविष्य में विचारण के समापन की संभावना असंभव है - किसी अपराध का दोषी घोषित होने से पहले लंबे समय तक कैद को बिना विचारण के दंड बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए - जमानत नियम है तथा इनकार एक अपवाद है - अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सांविधिक प्रतिबंधों से श्रेष्ठ है - इस प्रकार, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित

आक्षेपित निर्णय अभिखंडित व अपास्त किया जाता है - अपीलकर्ता को जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर तुरंत रिहा किया जाता है - भारत का संविधान - अनुच्छेद 21 [पैरा 10-14, 16, 17-22, 24, 25, 27-29]

उद्धृत निर्णयज विधि

मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1920: 2024 आईएनएससी 595; सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय [2023] 15 एससीआर 848: (2024) 6 एससीसी 401: 2023 आईएनएससी 1073 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान।

प्रमुख शब्दों की सूची

पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक का लाभ; जमानत; पीएमएलए की धारा 45(1) के तहत महिलाओं के लिए विशेष उपचार; कमजोर महिला।

मामला उद्भूत होता है

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील सं. 3522/2024
ज़.आ. 1675/2024 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित 01.07.2024
के साथ
आपराधिक अपील सं. 3523/2024 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थितियां

मुकुल रोहतगी, विक्रम चौधरी, दमा शेषाद्री नायडू, वरिष्ठ अधिवक्तागण, नितीश राणा, पी. मोहित राव, सुश्री जे. अक्षिता, सुश्री अरवीन सेखों, दीपक

नागर, सोमनदरी गौड़ के, शेख सोहेल अख्तर, सुश्री मुस्कान खुराना, यूजीन एस फिलोमीन, आशीष जैकब माथी, वरुण वर्मा, हितेश कुमार शर्मा, शुभम राजहंस, निखिल कोहली, निखिल रोहतगी, केशव सहगल, शशांक खुराना, सुश्री कल्याणी भिड़े घरोटे, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण।

सूर्यप्रकाश वी राजू, एसजी, ज़ोहेब हुसैन, मुकेश कुमार मरोरिया, अन्नम वेंकटेश, अर्कज कुमार, विवेक गुरनानी, अरविंद कुमार शर्मा, सम्मत गोस्वामी, हितार्थ राजा, सुश्री श्वेता देसाई, सुश्री अभि प्रिया राय, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

न्या. बी. आर. गवई

1. अनुमति दी गई।
2. ये अपीलें नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन सं. 1675/2024 व 1739/2024 में पारित उस निर्णय व आदेश दिनांकित 01.07.2024 को चुनौती देती हैं, जिसके माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार किया गया है।
3. हालांकि इस मामले पर श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ श्री डी. एस. नायडू तथा श्री विक्रम चौधरी, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, एवं श्री एस. वी. राजू, भारत के विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर (संक्षेप में, 'एसजी') द्वारा प्रत्यर्थी(यों) के लिए विस्तार से बहस की गई है; विद्वान एसजी ने सुझाव दिया है कि इस न्यायालय को गुणागुण पर विस्तृत चर्चा से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी टिप्पणी विचारण में किसी भी पक्षकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

4. हम मामले के गुणागुण पर विस्तृत विवर्धन दर्ज नहीं करने के लिए न्यायालय को सुझाव देने के लिए विद्वान एएसजी की निष्पक्षता की प्रशंसा करते हैं। इस न्यायालय का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि न्यायालयों को जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में विस्तृत चर्चा से बचना चाहिए। इसलिए हम वर्तमान मामले के गुणागुण पर किसी भी चर्चा से बचेंगे क्योंकि इससे विचारण में किसी भी पक्षकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
5. श्री रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है ताकि अपीलकर्ता को आरोपित अपराधों में आलिप्त किया जा सके। किसी भी मामले में, वह प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक की वि.अनु.या.(आप) सं. 10778/2024 से उद्भूत अपील का संबंध है, अभियोजन पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज की गई है और जहां तक वि.अनु.या.(आप) सं. 10785/2024 से उद्भूत अपील का संबंध है, आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि जांच पूरी हो गई है, इसलिए अपीलकर्ता की आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं होगी।
6. श्री रोहतगी, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि उक्त मामला और वर्तमान मामला दोनों तथ्यों के एक ही समूह से उत्पन्न होते हैं और इसलिए वर्तमान मामले में भी लगभग 493 साक्षियों का परीक्षण किया जाना है और जिन दस्तावेजों पर विचार किया जाना है वे लगभग 50,000 पृष्ठों में हैं। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता से अपराध के आगम बरामद नहीं हुए हैं। श्री रोहतगी आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता एक महिला है और इसलिए *धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप के लिए, 'पीएमएलए')* की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत विशेष उपचार की हकदार है।

7. श्री एस. वी. राजू, विद्वान एसजी ने इन अपीलों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न साक्षियों के साथ-साथ सह-अभियुक्तों के बयानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान अपीलकर्ता सह-आरोपी-अरविंद केजरीवाल तथा दक्षिण गोष्ठी के मध्य लेन देन की व्यवस्था करने में एक किंगपिन था। वह प्रस्तुत करते हैं कि साक्षियों के बयान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपराध के आगम, कम से कम उनके कहने पर, अग्रसर हुए हैं। विद्वान एसजी आगे प्रस्तुत करते हैं कि न केवल पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान बल्कि विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज बयान भी स्पष्ट रूप से वर्तमान अपीलकर्ता को आलिप्त करेंगे।
8. विद्वान एसजी आगे प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायाधीश ने पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान का लाभ इस आधार पर देने से इनकार कर दिया है कि अपीलकर्ता एक महिला है, साथ ही उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने में स्वयं को संलिप्त किया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए अपने मोबाइल सेट को फॉर्मेट किया है।
9. विद्वान एसजी आगे प्रस्तुत करते हैं कि आरोपी अरुण पिल्लई ने अपने बयान को किस तरह से वापस लिया है, जो इस क्रम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें वर्तमान अपीलकर्ता की भूमिका है। वह प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरुण पिल्लई का बयान तीन महीने से अधिक की अवधि के बाद दिनांक 10.11.2022 को दर्ज किया गया था, लेकिन उन्होंने दिनांक 09.03.2023 को बयान वापस ले लिया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि वर्तमान अपीलकर्ता को पहला समन दिनांक 07.03.2023 को जारी किया गया था, यानी अरुण पिल्लई के बयान से दो दिन पहले। इसलिए वह प्रस्तुत करते

हैं कि न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या अपीलकर्ता गवाहों को प्रभावित करने में लिप्त है।

10. अभिलेख के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि सीबीआई मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और ईडी मामले में शिकायत दर्ज की गई है। इस प्रकार, जांच के उद्देश्य से अपीलकर्ता को हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है।
11. अपीलकर्ता पिछले पांच महीनों से सलाखों के पीछे है। जैसा कि **मनीष सिसोदिया** (पूर्वोक्त) के मामले में हमने देखा है, यह ध्यान में रखते हुए कि लगभग 493 साक्षियों का परीक्षण किया जाना है और जिन दस्तावेजों पर विचार किया जाना है, वे लगभग 50,000 पृष्ठों तक हैं, निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की संभावना असंभव है।
12. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा जताते हुए, हमने **मनीष सिसोदिया** (पूर्वोक्त) के मामले में देखा था कि किसी अपराध का दोषी घोषित होने से पहले लंबे समय तक कैद को बिना विचारण के दंड बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
13. हमने सुस्थापित सिद्धांत को भी दोहराया था कि "जमानत नियम है एवं इनकार एक अपवाद है"। हमने आगे यह भी पाया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किसी भी प्रकार के सांविधिक प्रतिबंधों से श्रेष्ठ है।
14. हमारा आगे यह विचार है कि पीएमएलए की धारा 45(1) का प्रावधान एक महिला को विशेष उपचार के लिए हकदार बनाएगा, जबकि जमानत के लिए उसकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।
15. पीएमएलए की धारा 45(1) का उक्त परंतुक इस प्रकार है:-

"बशर्ते कि एक व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या एक महिला है या बीमार या दुर्बल है, या तो स्वयं या

अन्य सह-अभियुक्त के साथ एक करोड़ रुपये से कम की राशि के धनशोधन का अभियुक्त है, को विशेष न्यायालय के निर्देश पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

16. उपरोक्त परंतुक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परंतुक महिला सहित अभियुक्तों की कुछ श्रेणी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देता है, पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी आवश्यकता को संतुष्ट किए बिना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, जैसा कि विद्वान एएसजी द्वारा तर्क दिया गया है, किसी दिए गए मामले में अभियुक्त, भले ही एक महिला स्वचालित रूप से उक्त प्रावधान के लाभ की हकदार न हो और यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
17. हालांकि, जब एक संविधि विशेष रूप से अभियुक्त की एक निश्चित श्रेणी के लिए एक विशेष उपचार प्रदान करती है, तो इस तरह के लाभ से इनकार करते समय, न्यायालय को विशिष्ट कारण बताने की आवश्यकता होगी कि इस तरह के लाभ से इनकार क्यों किया गया है।
18. विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश, जो वर्तमान अपीलकर्ता के साथ विशेष व्यवहार से इनकार करता है, एक दिलचस्प पठन हेतु उपयुक्त है।
विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि: -

“65. जैसा कि आवेदन की विषयवस्तु में उल्लेख किया गया है, आवेदक श्रीमती के. कविता, निजामाबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं और पूर्व में निजामाबाद के लिए संसद सदस्य (एमपी) सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रह चुकी हैं। लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई समितियों में कार्य किया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 'मुफ्त भोजन पहल' शुरू की थी, राज्य के अस्पतालों में तथा महामारी के दौरान भोजन उपलब्ध कराया था। वह तेलंगाना जागृति कौशल केंद्र की संस्थापक भी हैं, जो युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, और उनकी दलीलों के अनुसार 2006 से

नलगोंडा जिले में गरीब बच्चों को शिक्षित करने में शामिल हैं। अभिकथनों में दावा किया गया है कि वह तेलंगाना राज्य आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती हैं। उन्होंने अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि एवं विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की है। उन्होंने वर्ष 2005 से भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय आयुक्त के रूप में भी काम किया है, जिसमें कई अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

66. यह जानकर प्रसन्नता होती है कि आवेदक श्रीमती के. कविता, एक उच्च योग्य एवं सकुशल रूप से निपुण व्यक्ति हैं, जिसने राजनीति एवं सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसा कि उन्होंने अपनी दलीलों में सूचीबद्ध किया है। अन्वेषण अभिकरणों द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया था। उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा तेलंगाना राज्य में समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने जो गतिविधियां शुरू की हैं, वे अनिवार्य रूप से उनका एक पक्ष है जो प्रभावशाली है। हालांकि, वर्तमान जमानत आवेदनों पर निर्णय देते समय, हालांकि यह न्यायालय इन उपलब्धियों की सराहना कर सकता है, लेकिन यह अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, जो प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी भूमिका को प्रकट करते हैं।

67. इसके अतिरिक्त, जहां तक धारा 45 के परंतुक के लाभ का संबंध है, जब यह आवेदक का मामला है कि वह एक सुशिक्षित एवं निपुण महिला हैं, जो संसद सदस्य, विधान परिषद की सदस्य आदि रही हैं, तो यह न्यायालय सौम्या चौरसिया (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री, जिस पर पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है, ने बताया है कि यहां आवेदक दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण व कार्यान्वयन से

संबंधित पूरी साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। वास्तव में, कुछ अन्य आरोपी व्यक्ति आवेदक की ओर से और उसके निर्देशों के अनुसार काम कर रहे थे, जैसा कि पिछली चर्चा में उल्लेख किया गया था।

68. इस प्रकार, श्रीमती के. कविता की तुलना एक कमजोर महिला से नहीं की जा सकती है, जिसका अपराध करने के लिए दुरुपयोग किया गया हो, जो महिलाओं का वह वर्ग है जिसके लिए पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान को शामिल किया गया है, जैसा कि [सौम्या चौरसिया](#) (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। तदनुसार, इस न्यायालय की राय है कि श्रीमती के. कविता पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान के लाभ की हकदार नहीं हैं।”

[जोर दिया गया]

19. अभियोजन पक्ष की ओर से हमारे समक्ष बारंबार यह तर्क दिया जाता है कि केवल इसलिए कि किसी अभियुक्त को संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या मंत्री या मुख्यमंत्री आदि होने के संदर्भ में विशेष दर्जा प्राप्त है, उन्हें विशेष व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए और उनके साथ किसी अन्य अभियुक्त के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए।
20. हालांकि, वर्तमान मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश, पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के लाभ से इनकार करते हुए, एक "सुखद निष्कर्ष" पर पहुंचते हैं कि अपीलकर्ता एक सुयोग्य एवं एक कुशल रूप से निपुण व्यक्ति हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अतिरिक्त रूप से पाया कि उनकी जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय, न्यायालय उनकी उपलब्धि की प्रशंसा कर सकता है, हालांकि, वह अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों

और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

21. इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपीलकर्ता की तुलना "कमजोर महिला" से नहीं की जा सकती है।
22. हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने त्रुटिपूर्ण रूप से यह पाया कि पीएमएलए की धारा 45(1) का प्रावधान केवल "कमजोर महिला" पर लागू होता है।
23. हम आगे पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने **सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णय को पूरी तरह से अनुचित प्रकार से लागू किया।
24. **सौम्या चौरसिया (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस न्यायालय ने पाया है कि न्यायालयों को पीएमएलए की धारा 45 के पहले प्रावधान व अन्य अधिनियमों में इसी तरह के प्रावधानों में शामिल व्यक्तियों की श्रेणी के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होने की आवश्यकता है। न्यायालय पाता है कि कम आयु के व्यक्तियों और महिलाओं के अधिक कमजोर होने की संभावना है, कभी-कभी बेईमान तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है और इस तरह के अपराध करने के लिए बलि का बकरा बनाया जा सकता है।
25. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह न्यायालय यह मानता है कि आजकल समाज में शिक्षित तथा सुस्थापित महिलाएं स्वयं को वाणिज्यिक उद्यम व नवोद्यम में संलग्न करती हैं तथा जाने अनजाने में स्वयं को अवैध गतिविधियों में संलिप्त कर लेती हैं। इसलिए न्यायालय सावधान करता है कि न्यायालयों को ऐसे मामलों को निर्णीत करते समय, अपनी प्रज्ञा का

उपयोग करते हुए सावधानी से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

26. सौम्या चौरसिया (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक की व्याख्या करते हुए पैराग्राफ 23 में इस प्रकार कहा है:

"23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालयों को धारा 45 के पहले परंतुक में शामिल व्यक्तियों की श्रेणी व अन्य अधिनियमों में इसी तरह के प्रावधानों के प्रति अधिक संवेदनशील व सहानुभूतिपूर्ण होने की आवश्यकता है, क्योंकि कम आयु के व्यक्तियों व महिलाओं के अधिक कमजोर होने की संभावना है, कभी-कभी अनैतिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है.....

27. इस न्यायालय ने ऊपर उद्धृत सावधानीपूर्वक लिखे गए पैराग्राफ में वाक्यांश का उपयोग किया "सुकुमार वय के व्यक्ति व महिला जो अधिक कमजोर होने की संभावना रखती हैं, कभी-कभी कपटी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है"। यह कहने से बहुत अलग है कि पीएमएलए की धारा 45(1) का परंतुक केवल "कमजोर महिला" पर लागू होता है। इसके अलावा, सौम्या चौरसिया (पूर्वोक्त) के मामले में यह न्यायालय यह नहीं कहता है कि केवल इसलिए कि एक महिला उच्च शिक्षित या परिष्कृत है या संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य है, वह पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के लाभ की हकदार नहीं है।

28. इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक के लाभ से इनकार करते हुए स्वयं को पूरी तरह से त्रुटियुक्त निर्देश दिया है।

29. परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित शर्तों में इन अपीलों की स्वीकृत करते हैं:-

- (i) नई दिल्ली में स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन सं. 1675/2024 व

1739/2024 में दिनांक 01.07.2024 को पारित आक्षेपित निर्णय व आदेश को अभिखंडित व अपास्त किया जाता है;

(ii) अपीलकर्ता को ईसीआईआर/एचआईयूआईआई/14/2022 दिनांकित 22.08.2022, थाना एचआईयू, प्रवर्तन निदेशालय तथा आरसी-0032022ए00053 दिनांकित 17.08.2022, थाना सीबीआई, एसीबी से उद्भूत परिवाद मामला सं. 31/2022 के संबंध में प्रत्येक मामले में 10,00,000/- रुपये की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करने पर जमानत पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है;

(iii) अपीलकर्ता सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी;

(iv) अपीलकर्ता अपना पासपोर्ट विद्वान विचारण न्यायाधीश के पास जमा करेगी; और

(v) अपीलकर्ता नियमित रूप से विचारण न्यायालय में उपस्थित होगी व विचारण के शीघ्रतिशीघ्र निपटान में सहयोग करेगी।

30. हालांकि हमने मामले के गुणागुण पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस निर्णय में की गई कोई भी टिप्पणी विचारण में पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं करेगी।

31. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलें स्वीकृत।

† शीर्ष टिप्पण रचनाकार : निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.